न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2026 बउनवानी मुरारी लाल मीना बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर निवासी छारोदा तहसील सवाईमाधोपुर

Appeal Number- 321055460511144

GCMS No-2026/ 98

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *खातेदार औंकार मीना पुत्र कन्हैया मीना निवासी छारोदा के नाम पर 1960–1975 बीच गांव पाडली पटवार हल्का भदलाव मे भूमि आवंटन हुई थी जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड खतोनी जमाबन्दी नया खाता संख्या 10 तथा पुराना खाता संख्या 9 ख0न0 173/1143,179,180,244 कुल रकबा 1.29 है मुतक औंकार नि0 छारोदा व रामचन्द्रा पुत्र कन्हैया मे से औंकार के विधिक वारिसान 4 पुत्र व 2 पुत्री के नाम विरासत दर्ज हुई थी जिसकी प्रमाणित सूचना* "तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना अधि./2026/32 दिनांक 06.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.1.2026 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक, काल्पनिक होने एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के तहत राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान है किन्तु फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 23.2.2026 को 10 पृष्ठो की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष सूचना कार्यालय मे उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु लिखा जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से 10 पृष्ठो की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष सूचना के लिए नियमानुसार पूर्ण विवरण के साथ तहसील कार्यालय मे आवेदन पत्र पेश कर प्राप्त करने के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner